न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्री विजयनगर जिला अनूपगढ़

पीठासीन अधिकारी - श्रीमति सीता शर्मा आर.ए.एस.

अनवान -

1. भजनसिंह पुत्र श्री अजीतसिंह जाति मजबी निवासी 17 ए.एस. तहसील श्री विजयनगर जिला अनूपगढ़ (राजस्थान)

-प्रार्थी-

बनाम

1. अजीत सिंह पुत्र श्री मोहन सिंह जाति मजवी निवासी फेरूमान तहसील बाबा बकाला जिला अमृतसर (पंजाब)
2. बलविन्द्र सिंह पुत्र श्री मोहन सिंह जाति मजबी निवासी फेरूमान तहसील बाबा बकाला जिला अमृतसर (पंजाब)
3. सुखविन्द्र सिंह पुत्र मोहन सिंह जाति मजबी निवासी फेरूमान तहसील बाबा बकाला जिला अमृतसर (पंजाब)
4. हरजीत सिंह पुत्र मोहन सिंह जाति मजबी निवासी फेरूमान तहसील बाबा बकाला जिला अमृतसर (पंजाब)
5. राजस्थान सरकार जरीये तहसीलदार राजस्व श्रीविजयनगर जिला अनूपगढ़।

-अप्रार्थीगण-

उपस्थिति - 1. श्री नवीन सोनी वकील प्रार्थी
2. पैराकार राज तहसीलदार श्री विजयनगर

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम)

प्रकरण संख्या - 79/2022 **निर्णय दिनांक - 15/02/2024**

प्रकरण में तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार है :-

प्रार्थी के द्वारा उपरोक्त अनवान का एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) आर.टी.ए. प्रस्तुत किया जाकर निवेदन किया कि चक 17 ए.एस. का मु.न. 19 प.न. 229/469 का किला नं. 1 ता 20 का रकबा प्रार्थी व माता के नाम से है जो कि माता के देहान्त उपरांत प्रार्थी के पास बतौर उत्तराधिकार है। प्रार्थी के उपरोक्त रकबा चक 17 ए.एस. का मु.न. 229/469 (19) का कि.न. 21/2, 22/2, 23/2, 24/1, 25/1 का रकबा 1.138 है भूमि अप्रार्थीगण सं. 1 ता 4 के नाम से दर्ज है। चक 17 ए.एस. का मु.न. 229/469 का कि.न. 21 ता 25 में रास्ता आम स्वीकृत शुदा मौका पर चालू है जो कि उक्त रास्ता आम के उत्तर दिशा में अप्रार्थीगण का रकबा है एंव अप्रार्थीगण के रकबा के उत्तर में प्रार्थी का रकबा स्थित है जिस कारण से प्रार्थी कि.न. 21 ता 25 में स्वीकृतशुदा रास्ता से कि.न. 21 मे चल रहे रास्ता आम से उत्तर दिशा की ओर एक बीघा लम्बाई में करीब 16 फुट चौडी जगह पत्थर लाईन

लगातार.....2

उप अधिकारी
विजयनगर

Scanned with CamScanner

के साथ साथ का उपयोग कर अपने रकवा कि.न. 20 में प्रवेश करता है एंव उक्त जगह का ही पिछले काफी अर्सा से रास्ता के रूप में उपयोग जिरोधोग अप्रार्थीगण की सहमति से करता आ रहा है। प्रार्थी के रकवा में आने जाने व कृषि उपकरणो को लाने ले जाने के लिए कोई स्वीकृतशुदा रास्ता आम नहीं होने के कारण से भूमि काश्त करने, फसल को मण्डी तक ले जाने व कृषि औजारो को लाने ले जाने व आवागमन में भारी परेशानियों का सामना करना पडता है इसलिए प्रार्थी ने अनेक अवसरो पर अप्रार्थीगण से सम्पर्क कर उन्हे कि.न 21 में चल रहे रास्ता आम से कि.न. 20 तक एक बीघा लम्बाई तक 16 फुट चौडाई में भूमि को रास्ता आम के रूप में स्वीकृत करवाने के लिए कहा तो अप्रार्थीगण आश्वासन देते रहे कि आप भूमि का उपयोग रास्ता के लिए करते रहो हम आपको रोकेगे नहीं व जब कभी गांव में राजस्व कैम्प आदि लगेगा तो उक्त भूमि को रास्ता आम के रूप में स्वीकृत व दर्ज करवा देगे जिस पर प्रार्थी ने सद्भावी विश्वास कर लिया एंव समय व्यतित होता रहा है। अब फसल पककर तैयार होने व कटाई प्रारम्भ होने पर प्रार्थी ने अप्रार्थीगण से दो रोज पूर्व सम्पर्क कर रास्ता आम स्वीकृति की कार्यवाही करने के लिए कहा तो अप्रार्थीगण ने ऐसा करने से साफ इन्कार कर दिया व कहा कि हम तो अब उक्त भूमि को काश्त करेगे और तुम्हारा यहां से आना जाना भी बंद करवा देगे हम अपनी भूमि में रास्ता स्वीकृत नहीं करवायेंगे बस यही तारीख बिनाए मुखास्मत वाद कारण है। चूँकि प्रार्थी के रकवा में आने जाने व कृषि औजार लाने ले जाने के लिए एक मात्र सुगम रास्ता उपरोक्त वर्णित कि.न. 21 के स्वीकृतशुदा रास्ता से कि.न. 20 मे प्रवेश करने का ही है इसके अलावा अन्य कोई सुगम रास्ता नहीं है इसलिए प्रार्थी चक 17 ए एस. का मुन. 229/469 का कि.न. 21 में चल रहे स्वीकृतशुदा रास्ता से किन. 21 से 20 की हद तक पत्थरलाईन के साथ साथ 16 फुट चौडाई में भूमि को रास्ता आम के रूप में स्वीकृत करवाना चाहता है रास्ता में आयी भूमि के बदले प्रार्थी निर्धारित दर से राशि अदा करने के लिए भी तैयार, तत्पर व इच्छुक है यदि उक्त भूमि को रास्ता आम के रूप में स्वीकृत नहीं किया जाता है तो प्रार्थी को अपने रकवा में आने के लिए कोई रास्ता नहीं होने से प्रार्थी की भूमि काश्त के अभाव में बंजर हो जावेगी व प्रार्थी अपने उत्पादन को मण्डी तक ले जाने व कृषि औजारो को भूमि तक ले जाने में असमर्थ हो जावेगा जिससे प्रार्थी को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा एंव काश्त में भारी असुविधा होगी। आदि का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी के रकवा में आने जाने के लिए 17 ए.एस. का मुन. 229/469 का कि.न. 21 में चल रहे स्वीकृतशुदा रास्ता से कि.न. 21 से 20 की हद तक पत्थरलाईन के साथ साथ 16 फुट चौडाई में भूमि को रास्ता आम के रूप में स्वीकृत किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने की कृपा करे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। वाद तार्मील नोटिस अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 न्यायालय में उपस्थित नहीं आये। इसलिए उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी पैरोकार राज ने अपना जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि चाहे गये रास्ते की परम आवश्यकता है। जोत तक पहुंचने के लिए वैकल्पिक रास्ते का पूर्ण अभाव है। अब तक प्रार्थी किसी स्थाई रास्ते

लगातार.....3

Scanned with CamScanner

का उपयोग नहीं कर रहा है। केवल मात्र यही एक निकटतम/लघूतम रास्ता है। चाहा गया रास्ता व्यवहारिक है। चाहे गये रास्ते में किसी बड़े वृक्ष, फसल या मकान आदि के नुकसान की सम्भावना नहीं है। सम्पूर्ण रास्ता खातेदारान की भूमि में से गुजरता है।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन करने एवं रिपोर्ट तहसीलदार का अवलोकन करने पर पाया कि प्रार्थी के रकबा के लिए कोई स्वीकृत शुदा रास्ता नहीं है। प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता प्रार्थी के रकबा के निकटतम एवं सबसे छोटा रास्ता है। अतः प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता को रास्ता आम के रूप में स्वीकृत किया जाना न्यायोचित है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) आर.टी.एक्ट. स्वीकार किया जाकर चक 17 ए.एस. का मु.न. 229/469 का कि.न. 21 के दक्षिण दिशा में चल रहे स्वीकृतशुदा रास्ता से पश्चिम दिशा में पत्थर लाईन के साथ साथ दक्षिण दिशा से उतर दिशा की ओर किला नं. 20 की हद तक दो बिस्वा (16 फुट) चौडाई में रास्ता आम के रूप में स्वीकृत किया जाता है। प्रार्थी डी.एल.सी. की दुगुनी राशि अप्रार्थीगण को देगा। उक्त रास्ते में आदेशानुसार पारित होने वाली भूमि की भली भांति पैमाईश की जाकर उक्त आदेशानुसार रास्ते की भूमि का मौके पर चिन्हीकरण करवा कर राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता का अमलदरामद किया जावे यदि मौका पर रास्ते की भूमि पर फसल बिजान है तो प्रार्थी से फसल का उचित मुआवजा भी अप्रार्थीगण को दिलवाया जाकर रास्ता चालू करवाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 15/02/2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(श्रीमति सीता शर्मा)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

Scanned with CamScanner